

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-१/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूतियों)०३-६१-०३/२०१५- ५१

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना-१५, दिनांक- १०.०७.१७

विषय: वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति के लिए सामग्री व पूतियों मद में ₹ २००.०० लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति ।

आदेश -- स्वीकृत ।

२- राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य योजना के अन्तर्गत अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु०जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद में अनु० जनजाति के लिए ₹ २००.०० लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलगीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी० गी०, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा ।

३- स्वीकृत राशि का व्यय राज्य योजना मद से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-०२-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-२७७-शिक्षा- उपशीर्ष-०१०१-शिक्षा-विषय शीर्ष-०१०१. २१०१-सामग्री एवं पूतियां-मांग संख्या-४४-विपत्र कोड संख्या-४४-२२२५०२२७०१०१ के अन्तर्गत विकलनीय है ।

४- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे ।

५- स्वीकृति के आलोक में राशि का व्यय किया जायेगा ।

६- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक १७-४-९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा ।

७- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा ।

८- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे ।


९- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे ।

१०- संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है ।

११- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं० सं०-१/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूतियों)०३-६१-०३/२०१५- के पृ०- /टिप्पणी पर प्राप्त है ।

१२- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राजमाल के आदेश से,

  
( प्रेम सिंह मीणा )  
सरकार के सचिव ।


ज्ञापक-1/छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियों)-06-40/2012-411 पटना, दिनांक- 10.07.17  
प्रतिलिपि : (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) (i) निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०) अनु० जाति  
एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक(2) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण  
विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा०-3  
एवं 5 (निदेश०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु०  
जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित  
प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित ।

(iii) आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सभी संबंधित को  
ई-गेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
6.7.17  
सरकार के सचिव।